


वि. कार्य पत्र
(न. रा.प.)
18/9/13



संख्या: 79/XXVIII-2/04(299)2002

प्रेषक,
एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सं. प्रतिक
7
सि. वि. (प.प.)
सं. 340/001
2/11/13

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी/जिला जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 02 सितम्बर, 2013

विषय: उत्तराखण्ड की भीषण आपदा में लापता व्यक्तियों हेतु मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया के निर्धारण विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के उप-महाराजिस्ट्रार-जन्म एवं मृत्यु के पत्र संख्या-1/2 (उत्तराखण्ड)/2011-वी0एस0-सी0आर0एस0, दिनांक 16.08.2013(प्रति संलग्न) द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार, उत्तराखण्ड की दैवीय आपदा में लापता व्यक्तियों हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-

1. जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) के परन्तुक के अनुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र उस स्थान पर निर्गत किया जाता है, जहाँ पर जन्म एवं मृत्यु की घटना घटित हुई हो। साधारणतः मृत्यु का पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा-8 में वर्णित व्यक्तियों की आख्या के आधार पर किया जाता है, परन्तु अपवादस्वरूप किसी असाधारण प्रकरण में जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत दैवीय आपदा में सम्यक् जाँच के आधार पर किसी लोक सेवक की आख्या पर भी मृत्यु पंजीकरण किया जा सकता है। लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिनका मृत शरीर समस्त प्रयत्न करने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुआ है, के मृत्यु प्रमाण-पत्र हेतु प्रक्रिया निर्धारण के लिए उन्हें निम्नानुसार 03 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए, अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी:-

श्रेणी 01- आपदा प्रभावित स्थानों के स्थायी निवासी, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित स्थानों में निवासरत थे।

श्रेणी 02- उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों के निवासी, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित स्थानों में निवासरत थे।

श्रेणी 03- अन्य राज्यों के पर्यटक, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित स्थानों पर उपस्थित थे।

मुख्य सचिव का कार्यालय
सं. 340/001
दि. 2/9/13

3. आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लापता स्थाई निवासियों (श्रेणी 01) हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया:-

- 1) लापता व्यक्ति के निकट सम्बन्धी अथवा उत्तराधिकारी द्वारा लापता होने एवं मृत्यु की उपधारणा के सम्बन्ध में नोटेराईज शपथ-पत्र के साथ, निवास के स्थान पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट/आख्या संस्थित की जायेगी। इस रिपोर्ट को स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।
- 2) उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति की आख्या, सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को भेजी जायेगी, जहां से व्यक्ति लापता हुआ हो।
- 3) उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट सहित लापता व्यक्ति के परिचय के साक्ष्य के रूप में राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर एवं बैंक पासबुक आदि की प्रति के साथ ^{अभिहित अधिकारी को} भेजी जायेगी।
- 4) अभिहित अधिकारी (Designated Officer) लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करेगा।
- 5) जांच के आधार पर अभिहित अधिकारी (Designated Officer) मृत्यु की अस्थाई उपधारणा हेतु सकारण आदेश निर्गत करेगा।
- 6) इस प्रकार मृत्यु की अस्थाई उपधारणा के आधार पर लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में दावों व आपत्तियों की प्राप्ति हेतु अभिहित अधिकारी (Designated Officer) लापता व्यक्तियों की सूची समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
- 7) दावे एवं आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त किये जायेंगे।
- 8) यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं होती है, तो अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।
- 9) मृत्यु प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/थाना को भी प्रेषित की जायेगी, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति की रिपोर्ट पंजीकृत की गयी थी।
- 10) अभिहित अधिकारी (Designated Officer) के समक्ष दावों एवं आपत्तियों के विरुद्ध अपील, अभिहित अधिकारी (Designated Officer) से वरिष्ठ अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित) के समक्ष की जायेगी। अपील को सकारण आदेश द्वारा निस्तारित करते हुए, अभिहित अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा तदोपरान्त मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने अथवा अस्वीकार करने की यथोचित् कार्यवाही की जायेगी।



4. उत्तराखण्ड के अन्य जनपदों के स्थाई निवासियों, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के समय उपस्थित थे, (श्रेणी 02) हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया:-

- 1) लापता व्यक्ति के निकट सम्बन्धी अथवा उत्तराधिकारी द्वारा नोटरी शपथ-पत्र के साथ निवास के मूल जनपद में, लापता होने एवं मृत्यु की उपधारणा के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट/आख्या प्रस्तुत की जायेगी। इस रिपोर्ट को मूल अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।
- 2) यदि इस प्रकार की रिपोर्ट आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से ही पंजीकृत की गयी हो तो अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को स्थानीय जांच हेतु अपने स्तर से लापता व्यक्ति के मूल जनपद के अभिहित अधिकारी/थानाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा।

3) मूल जनपद के जांच अधिकारी द्वारा निम्नांकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच की जायेगी:-

- a. लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में उनके पारिवारिक सदस्यों या निकट सम्बन्धियों या मित्रों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट 30.06.2013 से पूर्व पंजीकृत की गई हो। यदि रिपोर्ट इस समय-सीमा के उपरान्त पंजीकृत की गई हो, तो पुलिस के समक्ष रिपोर्ट हेतु देर से पहुंचने का कारण स्पष्ट किया जायेगा।
 - b. लापता व्यक्ति द्वारा उत्तराखण्ड के प्रभावित क्षेत्रों में 16.06.2013 से पूर्व यात्रा की हो।
 - c. लापता व्यक्ति प्रभावित क्षेत्रों में जाने के पश्चात् लापता हुआ हो।
 - d. जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या, प्रभावित क्षेत्र के अभिहित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- 4) जांच आख्या के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति के लापता होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा देहरादून के लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा रखी गयी सूचना के आधार पर पुनः जांच की जायेगी। अभिहित अधिकारी द्वारा अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अन्य समस्त उपलब्ध सूचनाओं यथा गवाहों के कथन, यदि कोई हों, मोबाईल फोन सेवा प्रदाताओं से प्राप्त अन्तिम कॉल का डाटा, Relief Camp के अभिलेखों एवं निकट सम्बन्धियों द्वारा दिये गये शपथ-पत्र आदि का जांच हेतु संज्ञान लिया जायेगा।



- 5) जांच के आधार पर अभिहित अधिकारी (Designated Officer) मृत्यु की अस्थाई उपधारणा हेतु सकारण आदेश पारित करते हुए, उसे मूल जनपद के अभिहित अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- 6) इस प्रकार प्राप्त सकारण आदेश के आधार पर लापता व्यक्तियों की सूचना, दावों एवं आपत्तियों हेतु मूल जनपद के अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित कराया जायेगा।
- 7) दावे एवं आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त की जायेगी।
- 8) यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं होती है, तो मूल जनपद के अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा आख्या, प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- 9) उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।
- 10) मृत्यु प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति मूल जनपद के अभिहित अधिकारी एवं सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/थाना को प्रेषित की जायेगी, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति की रिपोर्ट पंजीकृत की गयी हो।
- 11) अभिहित अधिकारी (Designated Officer) के समक्ष दावों एवं आपत्तियों के विरुद्ध अपील, पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer) से वरिष्ठ अधिकारी (राज्य सरकार द्वारा नामित) के समक्ष की जायेगी। अपील को सकारण आदेश द्वारा निस्तारित करते हुए, प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा तदोपरान्त प्रमाण-पत्र निर्गत करने अथवा अस्वीकार करने की कार्यवाही की जायेगी।

5. अन्य राज्यों के पर्यटक, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा के समय उस स्थान पर उपस्थित थे, (श्रेणी 03) हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया:-

- 1) लापता व्यक्ति के निकट सम्बन्धी अथवा उत्तराधिकारी द्वारा नोटरी शपथ-पत्र के साथ निवास के मूल राज्य में निवास के स्थान पर लापता होने एवं मृत्यु की उपधारणा के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट/आख्या प्रस्तुत की जायेगी। इस रिपोर्ट को स्थाई अभिलेख के रूप में रखा जायेगा।
- 2) यदि इस प्रकार की रिपोर्ट उत्तराखण्ड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व से ही पंजीकृत की गयी हो, तो प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट को स्थानीय जांच हेतु अपने स्तर से लापता व्यक्ति के मूल राज्य से सम्बन्धित उसके निवास के थानाध्यक्ष को प्रेषित करेगा।



- 3) मूल राज्य के जांच अधिकारी द्वारा निम्नांकित तथ्यों के सम्बन्ध में जांच की जायेगी:-
- लापता व्यक्ति के सम्बन्ध में उनके पारिवारिक सदस्यों या निकट सम्बन्धियों अथवा मित्रों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति रिपोर्ट 30.06.2013 से पूर्व पंजीकृत करायी गयी हो। यदि इस समय-सीमा के उपरान्त पंजीकृत की गई हो, तो पुलिस के समक्ष देर से पहुंचने का कारण।
 - लापता व्यक्ति द्वारा उत्तराखण्ड के प्रभावित क्षेत्रों में 16.06.2013 से पूर्व यात्रा की हो।
 - लापता व्यक्ति प्रभावित क्षेत्रों में जाने के पश्चात् लापता हुआ हो। इस हेतु जांच अधिकारी द्वारा मूल राज्य के नई दिल्ली स्थित स्थानिक आयुक्त कार्यालय में अनुरक्षित डाटा बेस के आधार पर भी जांच की जायेगी।
 - जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या को प्रभावित क्षेत्र के अभिहित अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- 4) मूल राज्य के जांच अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को लापता होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा देहरादून के लापता व्यक्ति प्रकोष्ठ द्वारा रखी गयी सूचना के आधार पर पुनः जांच की जायेगी। अभिहित अधिकारी द्वारा अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व अन्य समस्त उपलब्ध सूचनाओं यथा गवाहों के कथन यदि कोई हो, एवं मोबाईल फोन सेवा प्रदाताओं से अन्तिम कॉल के डाटा, Relief Camp के अभिलेखों एवं निकट सम्बन्धियों द्वारा दिये गये शपथ-पत्र आदि का संज्ञान भी लिया जायेगा।
- 5) जांच के आधार पर अभिहित अधिकारी (Designated Officer) मृत्यु की अस्थायी उपधारणा हेतु सकारण आदेश पारित करते हुए, उसे मूल राज्य के अभिहित अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- 6) इस प्रकार मृत्यु की अस्थायी उपधारणा के सकारण आदेश के आधार पर लापता व्यक्तियों के दावों व आपत्तियों हेतु मूल राज्य के अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाईट पर सूची प्रकाशित की जायेगी।
- 7) दावे एवं आपत्तियां 30 दिन के भीतर प्राप्त किये जायेंगे।
- 8) यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं होती है, तो मूल राज्य के अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा आख्या प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।




9) उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।

10) मृत्यु प्रमाण-पत्र निःशुल्क निर्गत किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति मूल राज्य के अभिहित अधिकारी एवं सम्बन्धित पुलिस स्टेशन/थाना को प्रेषित की जायेगी, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट/लापता व्यक्ति की रिपोर्ट पंजीकृत की गयी हो।

11) अभिहित अधिकारी (Designated Officer) के समक्ष दावों एवं आपत्तियों के विरुद्ध अपील, अभिहित अधिकारी (Designated Officer) से वरिष्ठ अधिकारी (सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित किया जायेगा) के समक्ष की जायेगी। अपील को सकारण आदेश द्वारा निस्तारित करते हुए, प्रभावित क्षेत्रों के अभिहित अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिहित अधिकारी (Designated Officer) द्वारा तदोपरान्त मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने अथवा अस्वीकार करने की कार्यवाही की जायेगी।

6- उक्त प्रक्रिया को लागू करने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक परगना मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा-7(1) के अधीन मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी/नामित किया गया है। मृत्यु का पंजीकरण उक्त अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन मृत्यु/मृत्यु की उपधारणा से सम्बन्धित स्थान पर किया जायेगा।

7- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


भवदीय,

(एस.ओ. रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXVIII-2/04(299)2002, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. भारत के उप महा रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
2. समस्त राज्यों के मुख्य सचिव। *Bihar*
3. समस्त राज्यों के प्रमुख स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
4. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
8. अपर मुख्य जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड।

9. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
10. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पीयूष सिंह)
अपर सचिव